सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2007—08

रोजगार विभाग राजस्थान

रोजगार सेवा निदेशालय,राजस्थान

दरबार स्कूल परिसर,गोपीनाथ मार्ग, जयपुर—302001
फोन: 2373675, 2373454, 2368850 फैक्स —2362661
वेबसाइट www.rajrojgar.nic.in

राजस्थान सरकार
रोजगार सेवा निदेशालय
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, वर्ष–2007–08

1.0 परिचय :–

1.1 पृष्ठभूमिः–रोजगार विभाग की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अभिसमय 88 के द्वारा की गई, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय रोजगार सेवा का गठन किया गया। 01–11–56 से पूर्व रोजगार सेवायें भारत सरकार के अधीन थी। तदुपरान्त शिवाराम कमेटी की अनुशंषा के अनुसार केन्द्र सरकार को देश भर मे कार्य की एकरुपता सुनिश्चित करने हेतु नीति निर्धारण, निर्देश निर्धारित करना और समन्वय करना है तथा रोजगार कार्यालय के दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यो का संपादन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

1.2 कार्यः–रोजगार कार्यालयों का मुख्य उद्देश्य रोजगार तलाश करने वालों को उनकी योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार रोजगार तलाश करने में सहायता प्रदान करना एवं नियोजकों को उनकी मांग के अनुरुप उपयुक्त आशार्थी उपलब्ध कराना है । इसके लिये रोजगार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार सहायता के इच्छुक बेरोजगार आशार्थियों का पंजीयन किया जाता है एवं नियोजकों को उनकी मांग के आधार पर सम्प्रेषण, नियोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त आशार्थियों को रोजगार कार्यालयों के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से रोजगार के अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं स्व–रोजगार योजनाओं की जानकारी देने के साथ–साथ व्यावसायिक मार्गदर्शन साहित्य का सृजन भी किया जाता है। विभाग रोजगार बाजार सूचना के अन्तर्गत रोजगार अवसरों का विश्लेषण एवं विकास के अलावा अनिवार्य रिक्ति ज्ञापन अधिनियम 1959 एवं नियम 1960 के प्रवर्तन की कार्यवाही भी कराता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1996 में सिविल संख्याः 11646–11724 / 95 के मामले में दिनांकः 22.8.96 के निर्णय में निर्देशित किया है कि नियोजकों द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती करने से पूर्व रोजगार कार्यालय से नाम मंगाने के साथ साथ ही उन रिक्त स्थानों का समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर, रेडियो तथा दूरदर्शन के रोजगार समाचार बुलेटिनों से प्रचार प्रसार करा कर भी आवेदन पत्र मांगें जावें। अतः ऐसे आशार्थी जिनका नाम रोजगार कार्यालयेां में वरिष्ठता के कारण नियोजकों को नहीं भेजा जा सका हो, या जो पंजीकृत नहीं हो, वे भी सीधे ही "नियोजकों को" अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं ।

1.3 विस्तारः–राज्य में रोजगार कार्यालय राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंग है। राज्य के 32 जिलों में रोजगार कार्यालय क्रियाशील हैं। स्थानीय ग्रामीण आशार्थियों को रोजगार सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये अजमेर जिले के उपखण्ड ब्यावर में ग्रामीण रोजगार कार्यालय कार्यरत है। महिलाओं हेतु विशेष रोजगार / स्व–रोजगार योजनाओं की जानकारी देने हेतु अलग से जयपुर में महिला रोजगार कार्यालय स्थापित है। निःशक्तजनों के लिये राजधानी जयपुर में विशेष रोजगार कार्यालय (निःशक्तजन) कार्यरत है जो निःशक्तजनों को उनकी शारीरिक अःशक्तता को दृष्टिगत रखते हुये उपयुक्त रोजगार सहायता एवं मार्गदर्शन देता है। इस वर्ष

जनशक्ति विभाग को रोजगार विभाग मे विलय किया गया है जिसका उद्देश्य राजस्थान के मूल निवासी बेरोजगार अभ्यार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है।

1.4 विभाग का प्रशासनिक एवं संगठनात्मक ढांचा राज्य मे रोजगार विभागीय समस्त सेवाओं के नियंत्रणार्थ जयपुर मे रोजगार सेवा निदेशालय स्थापित है, जिसमे निदेशक के सहायतार्थ उप निदेशक एवं सहायक निदेशक के पद सृजित है। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिये एक अलग कार्यालय स्थापित है, जिसके प्रभारी संयुक्त निदेशक है। राज्य के बेरोजगार आशार्थियों के अभाव–अभियोग के निवारण हेतु निदेशालय मे सतर्कता अनुभाग कार्यरत है, जिसके प्रभारी अधिकारी उप–निदेशक (पद्धति) हैं। सभागीय मुख्यालयों के रोजगार कार्यालयो के संचालन सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा एवं जिला रोजगार कार्यालयो, अनुसूचित जाति/ जनजाति के आशार्थियों के लिये अध्यापन एवं मार्गदर्शन केन्द्र बांसवाडा, ग्रामीण रोजगार कार्यालय ब्यावर (जिला–अजमेर) एवं औद्योगिक क्षेत्र भिवाडी (जिला–अलवर) में उप रोजगार कार्यालय का प्रशासन जिला रोजगार अधिकारियो द्वारा चलाया जाता है। अनुसूचित– जाति/जनजाति के आशार्थियों के लिये अध्यापन एवं मार्गदर्शन केन्द्र, उप–क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय उदयपुर में पृथक यूनिट कार्यरत है। उप–क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, व्यावसायिक एवं प्रशासनिक इकाई, महिला रोजगार कार्यालय, राजस्थान रोजगार सन्देश के कार्यालयाध्यक्ष सहायक निदेशक हैं। सभी विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, विशेष रोजगार कार्यालय(निःशक्तजन) जयपुर तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं स्व–रोजगार कार्यालय अजमेर एवं जनजाति क्षेत्र प्रतापगढ जिला–चित्तौडगढ के उप रोजगार कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष जिला रोजगार अधिकारी हैं। जनजाति क्षेत्र सागवाडा (जिला डूंगरपुर) कुशलगढ (जिला बांसवाडा) एवं परमाणु संयंत्र रावतभाटा (जिला चित्तौडगढ) के उप रोजगार कार्यालयों में कनिष्ठ रोजगार अधिकारी प्रभारी हैं एवं नियंत्रण संबंधित जिले के जिला रोजगार अधिकारी का है।

2.0 रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किये जाते हैः–

(1) रोजगार कार्यालयों सहित समस्त अधीनस्थ कार्यालयों का प्रशासन नियंत्रण एवं समन्वय ।

(2) रोजगार सेवा प्रक्रिया संबंधी कार्य एवं अधीनस्थ रोजगार कार्यालयों का निरीक्षण।

(3) रोजगार संबंधी सांख्यिकी, सर्वेक्षण एवं शोध ।

(4) रोजगार कार्यालय (अनिवार्य रिक्ति ज्ञापन) अधिनियम, 1959 एवं नियम, 1960 को राज्य में लागू करना तथा रोजगार बाजार सूचना एकत्रित करना ।

(5) व्यवसायिक मार्गदर्शन एवं वृति संबंधी सलाह ।

(6) विभागीय अधिकारी और कर्मचारी प्रशिक्षण ।

2.1 रोजगार विभाग के विभिन्न एककों के कार्य एवं कार्य प्रणालीः–केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की समन्वित नीति के अन्तर्गत रोजगार कार्यालय संचालित होते हैं। इनकी कार्य विधि एवं संचालन के लिये राष्ट्रीय रोजगार सेवा संहिता खण्ड प्रथम एवं द्वितीय में सिद्धान्त

निहित है। केन्द्रीय स्तर पर एक कार्यकारी दल गठित है जिसमें केन्द्र सरकार के साथ ही समस्त राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि सदस्य हैं। यह कार्यकारी दल रोजगार कार्यालयों के कार्य संबंधी नियमों आदि पर विचार विमर्श कर समय समय पर निर्णय लेता रहता है। राज्य सरकार भी समय समय पर प्रशासनिक आदेश जारी करती रहती है ।

2.2 निरीक्षण मुख्यालय स्तर से अधीनस्थ रोजगार कार्यालयों के निरीक्षण एवं रोजगार विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निदेशालय/मुख्यालय पर पदस्थापित अधिकारियों को आवंटित जिलों के समन्वय एवं राष्ट्रीय रोजगार नियमावली के अन्तर्गत निरीक्षण कार्य किया जाता है।

2.3 उप–क्षेत्रीय एवं जिला रोजगार कार्यालयः– इनका कार्य जिले के सभी रोजगार सहायता कार्यक्रमों जैसे बेरोजगार आशार्थियों का पंजीयन, सम्प्रेषण, नियोजन, व्यावसायिक–मार्गदर्शन एवं वृति संबंधी परामर्श देना है। साथ ही रोजगार बाजार सूचना एकत्रीकरण तथा जिले की जनशक्ति आयोजना की योजनायें तैयार करना है। इसके अतिरिक्त बेरोजगार युवकों को स्व–रोजगार हेतु प्रेरित करने तथा वित्तीय एवं तकनीकी सुविधाओं संबंधी मार्गदर्शन देने में रोजगार कार्यालय प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के समस्त जिलों में जन–शक्ति आयोजना एवं रोजगार सृजन समितियों की स्थापना की गई हैं। इस समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं एवं रोजगार अधिकारी द्वारा प्रत्येक तिमाही में इनकी बैठक आयोजित की जाती है। सम्बन्धित जिले के जिला प्रमुख, विधायकगण, सरकारी प्रतिष्ठानों तथा बडे एवं मध्यम उद्योगों के प्रतिनिधि, समाजसेवी आदि इसके सदस्य होते हैं एवं संबंधित जिले का सहायक निदेशक/ जिला रोजगार अधिकारी सदस्य सचिव होता है। बैठक में जिला स्तर पर रोजगार विकास, रोजगार सृजन प्रशिक्षण,रोजगार स्थिति आदि की समीक्षा की जाती है एवं प्रतिवेदन आयोजना विभाग को प्रेषित किया जाता है।

2.4 उप रोजगार कार्यालयः–आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के आशार्थियों को रोजगार सहायता उपलब्ध कराने के लिये चित्तौडगढ, बांसवाडा एवं डूंगरपुर जिलों में क्रमशः प्रतापगढ, कुशलगढ एवं सागवाडा में उप रोजगार कार्यालय कार्यरत हैं। इन कार्यालयों द्वारा बेरोजगार आशार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षणों में प्रवेश के लिये मार्गदर्शन दिया जाता है। सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र के नियोजकों को योग्य आशार्थी उपलब्ध कराने की दृष्टि से अलवर जिले के भिवाडी औद्योगिक क्षेत्र में तथा चित्तौडगढ जिले में राणा प्रताप सागर परमाणु संयत्र रावतभाटा में एक–एक उप रोजगार कार्यालय कार्यरत है। इन उप रोजगार कार्यालयों में भी स्थानीय बेरोजगार आशार्थियों को विभाग द्वारा समस्त रोजगार सहायता उपलब्ध करवायी जाती है। अजमेर जिले की जवाजा, ब्यावर, मसूदा पंचायत समितियों के ग्रामीण आशार्थियों को रोजगार सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये अजमेर जिले के उपखंड ब्यावर में ग्रामीण रोजगार कार्यालय कार्यरत है ।

2.5 विशिष्ठ कार्यो हेतु कार्यालय

1. रोजगार कार्यालयो के माध्यम से स्व रोजगार को बढावा देने का कार्य संयुक्त निदेशक स्व नियोजन एव रोजगार विकास जयपुर के कार्यालय द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अलवर एव भरतपुर रोजगार कार्यालयों में भी अलग से स्व–रोजगार प्रकोष्ठ कार्यरत है ।

2. उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा प्राप्त आशार्थियों को रोजगार सहायता एव व्यावसायिक मार्गदर्शन देने का कार्य व्यवसायिक एवं प्रशासनिक इकाई जयपुर द्वारा किया जाता है ।

3. नि:शक्तजन आशार्थियों को रोजगार सहायता एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन देने का कार्य विशेष रोजगार कार्यालय (नि:शक्तजन) जयपुर द्वारा किया जाता है।

4. बेरोजगार आशार्थियो को रिक्तियो संबंधी जानकारी देने के लिये 'राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक पत्र) का प्रकाशन सहायक निदेशक (प्रकाशन) जयपुर के कार्यालय द्वारा कराया जाता है ।

5. अजमेर जिले के बेरोजगार आशार्थियों को गहन रूप से स्व–रोजगार एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन हेतु जिला रोजगार अधिकारी, स्व–रोजगार एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यालय, अजमेर में स्थापित है ।

6. राजस्थान के चार विश्वविद्यालयों राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर एवं कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो कार्यरत हैं जो विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को रोजगार वृतिका, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण एव प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं ।

3.0 विभाग के सम्पादित कार्यो की प्रगति :–

3.1 रोजगार सहायता:–रोजगार कार्यालयों द्वारा नियोजकों एवं बेरोजगार आशार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये नि:शुल्क सेवायें प्रदान की जाती है।

वर्ष 2007 (जनवरी से दिसम्बर) में 278384 आशार्थियों का पंजीयन किया गया। वर्णित वर्ष में 13698 रिक्तियां अधिसूचित की गई, जिनके विरूद्ध 66713 आशार्थियों के नाम सम्प्रेषित किये गये एवं 8426 आशार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया (तालिका–1 संलग्न है)।

3.2 विशिष्ठ श्रेणी के आशार्थियों के लिये किये गये कार्य:–रोजगार कार्यालयों द्वारा वर्ष 2007 में 46510 अनुसूचित जाति, 34308 अनुसूचित जनजाति, 76938 अन्य पिछडा वर्ग, 52797 महिलायें एवं 4955 नि:शक्तजन आशार्थियों का पंजीयन किया गया तथा 843 अनुसूचित जाति, 618 अनुसूचित जनजाति, 952 अन्य पिछडा वर्ग, 223 महिलायें एवं 40 नि:शक्तजन आशार्थियों को नियोजित कराया गया (तालिका–2 संलग्न है)।

3.3 अल्पसंख्यकों के लिये किये गये कार्य:–प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यको के कल्याण हेतु 15 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार कार्यालयों द्वारा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में चल

शिविर आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 2007 में 118 शिविर आयोजित किये गये तथा 9540 आशार्थियों का पंजीयन किया गया, 1340 का सम्प्रेषण किया गया तथा 118 को नियोजित कराया गया। साथ ही 3288 को व्यावसायिक मार्गदर्शन दिया जाकर 209 को विभिन्न स्व–रोजगार योजनाओ के अन्तर्गत स्व नियोजित कराया गया। 31 दिसम्बर 2007 को 52772 अल्पसंख्यक श्रेणी के आशार्थी सजीव पंजीका पर उपलब्ध थे। (तालिका 3 संलग्न है)।

3.4 स्व–रोजगार एवं रोजगार विकास कार्यक्रम की उपलब्धियां सवैतनिक रोजगार क्षेत्र में घटते अवसरो को दृष्टिगत रखते हुए बेरोजगार आशार्थियों को स्व रोजगार अपनाने में सहायता देने एव विभिन्न स्व रोजगार योजनाओ की जानकारी प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा स्व–रोजगार कार्यक्रम राज्य के सभी रोजगार कार्यालयों द्वारा चलाया जा रहा है। लघुउद्योग विकास संगठन,राष्ट्रीयकृत बैंक,नाबार्ड,औद्योगिक विकास निगम, अनु. जाति/जनजाति विकास निगम ,वित्तनिगम, खादी ग्रामोद्योग ,शहरी/ग्रामीण निकायों जैसे विभिन्न संस्थान तकनीकी जानकारी,वित्त आदि उपलबध करा कर आशार्थियों को स्व–नियोजित होने मे योगदान कर रहे है तथापि अधिकाश युवाओं को इन संस्थानों की विद्यमानता एव इनके द्वारा प्रदत्त सुविधाओ की जानकारी नहीं है। अतः यह विभाग विभिन्न संस्थानो द्वारा स्व–रोजगार के लिये विभिन्न रोजगार अवसरों के लिये आवश्यक तकनीकी जानकारी,कच्चामाल,उत्पादन प्रक्रिया और उपकरण विपणन, स्व–रोजगार योजनाओं के आवेदन पत्रों के प्रारूप आदि जैसी आवश्यक सूचनाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध करा कर आशार्थियों को लाभान्वित करता है। वर्ष 2007(जनवरी से दिसम्बर तक) में रोजगार कार्यालयों द्वारा बेरोजगार आशार्थियो को स्व–रोजगार की ओर उन्मुख करने हेतु 3714 सामूहिक वार्तायें आयोजित की गई जिनमें 73199 आशार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 78346 आशार्थियो को स्व–रोजगार के संबंध में व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध कराई गई। विभाग के प्रयास से इन संस्थानों के माध्यम से 8574 आशार्थी स्व–नियोजित हुए।

रोजगार विकास कार्यक्रम का ध्येय रोजगार बाजार में अधिकतम रोजगार के अवसर तलाश करने हेतु विशेष प्रयास करना है। जहॉ एक ओर अधिकांश बेरोजगार विभिन्न शैक्षणिक एव तकनीकी दक्षता लिये हुए रोजगार तलाश में है, वहीं बहुत सी रिक्तियां उपयुक्त एवं कुशल जनशक्ति के अभाव में अपूरित रह जाती है। अतः विभाग नियोजकों से सम्पर्क कर अभावग्रस्त व्यवसायों की जानकारी संकलित करता है तथा योग्य आशार्थियों को इन पदो हेतु आवेदन करने एवं उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है।

3.5 व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम की उपलब्धियॉं:–रोजगार कार्यालय शिक्षित बेरोजगार आशार्थियों को उचित व्यवसाय के चयन में सहायता प्रदान करने के साथ–साथ देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में उपलब्ध पाठ्यक्रमों/ प्रशिक्षणों की जानकारी उन्हें उपलब्ध कराते हैं। राज्य के प्रत्येक रोजगार कार्यालय में व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिये रोजगार साहित्य उपलब्ध है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन पत्रों का विक्रय राज्य के रोजगार कार्यालयों द्वारा किया गया। समय समय पर रोजगार अधिकारी स्कूल/ कॉलेजों में जाकर कैरियर वार्ताए तथा व्यावसायिक सूचनाओं की प्रदर्शनियों का आयोजन करने के अलावा रोजगार कार्यालयों में सामूहिक वार्ताओं का भी आयोजन करते हैं। वर्णित वर्ष–2007 में 704 कैरियर वार्तायें आयोजित की गई,

109927 आशार्थियो को पंजीयन के समय मार्गदर्शन दिया गया तथा 3301 सामूहिक वार्तायें आयोजित की गई जिसमे 62041 आशार्थियों ने भाग लिया। इन अवसरों पर विभाग द्वारा तैयार व्यावसायिक एवं कैरियर मार्गदर्शनोपयोगी चार्ट का यथायोग्य प्रदर्शन एवं साहित्य वितरण भी किया गया। (तालिका–4 संलग्न है)।

3.6 रोजगार बाजार सूचना एकत्रीकरण कार्यक्रमः–संगठित क्षेत्र की रोजगार स्थिति का अध्ययन करने के लिये रोजगार बाजार सूचना एकत्रीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी जिलों में विभिन्न रोजगार सूचनाओं का त्रैमासिक अन्तराल पर संकलन किया जाता है। वर्ष–2007 (त्रैमासान्त सितम्बर–07) में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 18867 नियोजकों से सूचना एकत्रित की गई थी, जिनमें से 13505 नियोजक सार्वजनिक क्षेत्र के तथा 5362 निजी क्षेत्र के थे। इससे ज्ञात होता है कि राज्य में 1228724 व्यक्ति नियोजित थे, जिनमें से 955575 सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 273149 व्यक्ति निजी क्षेत्र में थे। (तालिका–5 संलग्न) राज्य में औद्योगिक वर्गानुसार रोजगार की स्थिति (तालिका–6) में दर्शाई गई है।

3.7 राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक पत्र) का प्रकाशनः– बेरोजगार आशार्थियों को विभिन्न रिक्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रशिक्षण, छात्रवृतियों तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिये विभाग द्वारा पाक्षिक पत्र ''राजस्थान रोजगार संदेश'' का प्रकाशन 30 वर्षो से नियमित रूप से किया जा रहा है। वर्ष–2007–08 (15 जनवरी 2008 तक) में लगभग 1,48,290 प्रतियॉ मुद्रित करवाई गई हैं। अनेक महत्वपूर्ण रिक्तियों का सम्पूर्ण विवरण इसी पत्र में प्रकाशन होने पर प्रसार संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि भी करली जाती है। वित्तीय वर्ष 2007–08 (अप्रैल,07 से दिसम्बर,07 तक) में राजस्थान रोजगार सन्देश की आय 3.90 लाख रू. हुई।

3.8 शोध एवं सर्वेक्षण कार्यक्रमः–इस अनुभाग द्वारा वर्ष–2007 में निम्न कार्य सम्पन्न कराये गयेः–

रोजगार कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों के आधार पर वार्षिक प्रतिवेदन, मानदण्डों की पूर्ति संबंधी प्रगति विवरण तथा विभिन्न सांख्यिकी सूचनाओं का संकलन कर राज्य सरकार एवं अन्य विभागों को सूचनायें भिजवाई गई।

3.9 प्रशिक्षण कार्यक्रमः–निदेशालय स्थित प्रशिक्षण अनुभाग के माध्यम से विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षणों हेतु मनोनीत किया जाता है। वर्ष–2007 में विभाग के अधिकारियों एंव कर्मचारियों को हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान,जयपुर द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 28 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाया गया। इसके अतिरिक्त सर्टिस नई–दिल्ली द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभाग के 20 अधिकारियों का मनोनयन किया गया।

4.0 रोजगार विभाग का कम्प्यूटरीकरणः– राजस्थान राज्य में कम्प्यूटराईजेशन का कार्य प्रगति पर है। एन.आई.सी. विभाग द्वारा वेबसाइट **rajrojgar.nic.in** तैयार कर ली गई है तथा इसे वेब पर स्थापित कर दिया गया है। इसमें विभाग का नागरिक अधिकार पत्र, रोजगार कार्यालय (अनिवार्य रिक्ति ज्ञापन) अधिनियम, 1959 एवं नियम 1960 के अलावा पंजीयन, ई. आर. (प्रथम), ई.आर. (द्वितीय) फार्म एवं विभाग के सांख्यिकी आंकडे आदि सूचनाएें उपलब्ध हैं

तथा इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही वेबसाइट पर विभाग द्वारा प्रकाशित राजस्थान रोजगार संदेश पाक्षिक को भी प्रत्येक 15 दिवस में अपलोड किया जाता है। द्वितीय चरण के अन्तर्गत निदेशालय एवं राज्य के समस्त रोजगार कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। अगले चरण में सभी कार्यालयों को वेब द्वारा जोड़कर विभाग की गतिविधियों को ऑन लाइन किया जायेगा।

5.0 वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2007–08

5.1 राजकौशल समिति:– बजट भाषण 2007–08 में बेरोजगार आशार्थियों के कौशल विकास के लिये समग्र प्रयास करने की घोषणा की गई थी। घोषणा की सफल क्रियान्विति के उद्देश्य से रोजगार विभाग के द्वारा राजस्थान रोजगार सरलीकरण एवं कौशल विकास समिति (राज–कौशल) का गठन किया गया है जिसके अतर्गत बेरोजगार आशार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जायेगा, उनके लिये विदेशों में रोजगार के अवसर चिन्हित किये जायेगें एवं उनके लाभार्थ अन्य कई गतिविधिया की जायेगी।

बजट भाषण 2007–08 के बिंदु सख्या 27 मे यह घोषणा की गई थी कि राज्य मे निजी सहभागिता से स्कूल ऑफ एनीमेशन खोला जायेगा। तदनुसार विभाग के द्वारा राज–कौशल समिति के अतर्गत एनीमेशन एकेडमी स्थापित कर दी गई है। यह एकेडमी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डी.क्यू. एण्टरटेनमेंट लिमिटेड, हैदराबाद के साथ करार कर स्थापित की गई है, जिसका शुभारम्भ 8 दिसम्बर 2007 को माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा ही किया गया है। उक्त एकेडमी दिनाक 8.12.2007 से विधिवत आरम्भ हो चुकी है। जिसमे 50–50 आशार्थियो के दो बैच आरम्भ किये गये है। प्रथम बैच 6 माह व द्वितीय बैच एक वर्ष के पाठ्यक्रम का है। दोनो पाठ्यक्रमो मे शत प्रतिशत सीटें भरी हुई है।

5.2 अक्षत योजना:– माननीया मुख्यमंत्री महोदय ने बजट भाषण वर्ष 2007–08 के पैरा 32 में घोषणा की थी कि 'बेरोजगार युवक की लाचारी दिल को छू लेने वाली होती है। जब तक ऐसे युवा अपनी skill upgrade कर रोजगार प्राप्त करें,या अपना स्वय का कार्य कर जीवन–यापन करने में सक्षम हों, मैं समझती हूँ कि राज्य द्वारा इनकी मदद करना आवश्यक है। बेरोजगारी भत्ता योजना को सभी वर्गो पर लागू करते हुए, मैं अब सभी ऐसे स्नातक बेरोजगार, जिनके माता–पिता की आय 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक नही हो, को जुलाई 2007 से चार सौ रुपये, और महिला स्नातक बेरोजगारों को 500 रुपये, मासिक भत्ता देने की घोषणा करती हूँ। विकलांग बेरोजगार स्नातकों के लिए मासिक भत्ते की राशि 600 रुपये प्रतिमाह होगी।' जिसके अनुरूप श्रम एवं नियोजन विभाग ने अपने आदेश क्रमाक प. 9(8)श्रनि/2007 दिनाक 30.6.2007 के द्वारा 1.7.2007 से उक्त योजना रोजगार विभाग के माध्यम से सभी जिलों में लागू कर दी गई है।

31 दिसम्बर, 2007 तक 14916 (चौदह हजार नौ सौ सोलह) स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को भत्ता स्वीकृत कर रूपये 1,34,89,377 एक करोड चौतीस लाख निवासी हजार तीन सौ सतेहतर) राशि का वितरण किया जा चुका है।

5.3 रोजगार मेला:—बेरोजगार आशार्थियों को मौके पर ही रोजगार/स्व–रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन देने हेतु दूरदराज के क्षेत्रों में वर्ष 2007–08 (अप्रेल से जनवरी,07 तक) 17 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया जिसमें 17293 बेरोजगारों को लाभान्वित करवाया गया।

5.4 रोजगार परामर्श केन्द्र:— बेरोजगार आशार्थियों को उनकी रूचि, क्षमता एवं सामाजिक और आर्थिक परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए रोजगार, स्व–रोजगार, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रशिक्षण, वृतिका विषय/व्यवसाय चयन आदि हेतु उपयुक्त परामर्श दने हेतु राज्य में 32 जिलों में रोजगार परामर्श केन्द्र स्थापित है। इन परामर्श केन्द्रों द्वारा वर्ष–2007 में कुल 1127151 आशार्थियों को रोजगार संबंधी परामर्श दिया गया, जिनमें 17,753 अनुसूचित जाति एवं 5313 अनुसूचित जनजाति के आशार्थी थे।

5.5 राजस्थान आजीविका मिशन के माध्यम से लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम:—

राजस्थान आजीविका मिशन के माध्यम से बेरोजगार आशार्थियों के लिये लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य के सभी 32 जिलों में 190 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ किये गये, उनमें अप्रैल,07 से दिसम्बर,07 तक 10373 आशार्थियों का रोजगार कार्यालयों के द्वारा प्रेषण किया गया।

5.6 निजी रोजगार एजेन्सियों का पंजीयन:—भारत सरकार के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय,नई–दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की अनुपालना में प्रदेश में संचालित निजी रोजगार एजेन्सियों की पंजीयन प्रक्रिया रोजगार विभाग में फरवरी–2004 से प्रारम्भ हुई थी। निजी रोजगार एजेन्सियों से सामंजस्य स्थापित कर बेरोजगार आशार्थियों को उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में सहायता करता है । निजी रोजगार एजेन्सियों के रोजगार विभाग में पंजीयन से बेरोजगारों के आर्थिक शोषण को रोकने में मदद मिलेगी तथा इन एजेन्सियों के द्वारा कितना रोजगार प्रदान किया जा रहा है,की जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी। दिसम्बर–2007 तक 315 निजी रोजगार एजेन्सियों का पंजीयन रोजगार विभाग द्वारा किया जा चुका है। इस प्रकार विभाग को वर्ष–2007 के अन्त तक 315000/–रू. की राजस्व आय हुई है।

6.0 वार्षिक वित्त योजना

6.1 वार्षिक योजना वर्ष 2007–08:— वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 हेतु 544.01 लाख की प्लान सीलिंग हैं। इस राशि में से रू. 500.01 लाख अक्षत योजना(स्नातक बेरोजगारी भत्ता योजना 2007) के लिये है।

6.2 विभाग की आय एवं राजस्व व्यय:—वित्तीय वर्ष 2006–07 में रोजगार संदेश की बिक्री/ विज्ञापन से विभाग की आय रू. 4.51 लाख हुई हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में माह दिसम्बर 2007 तक इस मद से रू. 3.90 लाख का राजस्व अर्जित किया जा चुका हैं।

तालिका – 1
रोजगार कार्यालयों द्वारा सम्पादित कार्यों का विवरण वर्ष–2007

क्र.सं.	विवरण	वर्ष–2007
1.	पंजीयन	278384
2.	अधिसूचित रिक्तियां	13698
3.	सम्प्रेषण	66713
4.	नियोजन	8426
5.	सजीव पंजिका (31दिसम्बर,06)	865482
6.	निरस्त पंजीयन कार्डो की संख्या	192341
7.	रोजगार–मेले, वर्ष 2007–08 (जनवरी,08तक)	17

तालिका–2

विशिष्ट श्रेणी के आशार्थियों के लिये किये गये कार्यों का विवरण,वर्ष–2007

क्र.सं.	श्रेणी	पंजीयन	नियोजन	सजीव पंजिका
1.	अनुसूचित जाति	46510	843	150541
2.	अनुसूचित जनजाति	34308	618	115862
3.	अन्यपिछडा वर्ग (ओ.बी.सी.)	76938	952	224226
4.	आई.टी.आई.	4221	213	21715
5.	महिलाऐं	52797	223	128742
6.	निःशक्तजन	4955	40	27216

तालिका–3

प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यको के कल्याण हेतु 15 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के आशार्थियों के लिये किये गये कार्यों का विवरण,वर्ष–2007

क्र.सं.	मद	वर्ष 2007
1.	सजीव पंजिका	52772
2.	पंजीयन	9540
3.	सम्प्रेषण	1340
4.	नियोजन	118
5.	मार्गदर्शित आशार्थी	3288
6.	चल शिविर	118
7.	चल शिविरों में पंजीकृत	712

तालिका – 4

व्यावसायिक मार्गदर्शन अनुभाग द्वारा सम्पादित कार्यो का विवरण, वर्ष–2007

क्र.सं.	मद	वर्ष–2007
1.	पंजीयन के समय मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले आशार्थियों की संख्या	109927
2.	व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करने वाले आशार्थियों की संख्या	93179
3.	आयोजित की गई सामूहिक वार्ताओं की संख्या	3301
4.	सामूहिक वार्ताओं में भाग लेने वाले आशार्थियों की संख्या	62041
5.	स्कूल/कॉलेजों इत्यादि में दी गई कैरियर मार्गदर्शन वार्ताओं की संख्या	704

तालिका–5

राज्य में नियोजक एवं नियोजित व्यक्तियों की संख्या का विवरण,

वर्ष–2007 (सितम्बर–07)

क्षेत्र	नियोजक	नियोजित व्यक्ति
(1) सार्वजनिक क्षेत्र		
1.केन्द्र सरकार	457	12433
2.राज्य सरकार	8410	588170
3.अर्द्ध केन्द्र सरकार	2403	72495
4.अर्द्ध राज्य सरकार	1720	95635
5.स्थानीय निकाय	515	74942
योग:–	13505	955575
(2) निजी क्षेत्र		
1. अधिनियमयान्तर्गत संस्थान	1861	223382
2. अधिनियम भिन्न संस्थान	3501	49767
योग:–	5362	273149
महायोग:–	18867	1228724

तालिका 6

उद्योगानुसार रोजगार स्थिति का विश्लेषण, सितम्बर 2007

औद्योगिक सभाग	विवरण	नियोजक	नियोजन
A	कृषि शिकार वन	288	18070
B	मछली पालन	21	366
C	खनन	98	15415
D	विनिर्माण	2079	183166
E	विद्युत गैस जलापूर्ति	1318	74046
F	निर्माण	856	36998
G	थोक व फुटकर व्यापार	315	12199
H	होटल व रेस्टोरेन्ट	281	9572
I	परिवहन संग्रहण,संचार	192	120451
J	वित्त	2559	51115
K	स्थायी सम्पदा	328	14709
L	लोक प्रशासन एवं सुरक्षा	2069	212033
M	शिक्षा	7291	355791
N	स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	883	116811
O	अन्य सामुदायिक,सामाजिक एवं निजी कियाएं	286	7846
P	निजी हाउस, होल्ड	3	136
	योग:–	**18867**	**1228724**

तालिका–7

आयोजना अन्तर्गत आर्थिक लक्ष्य(विद्यमान दायित्व) आउटले (राशि लाखों में)

बजट शीर्षक

2230–श्रम और रोजगार

02–रोजगार

क.स.	योजना का नाम	वर्ष 2007–08
1	001–निदेशन और प्रशासन 05–कार्यालय व्यय 62–संचाल सूचना एवं तकनीकी उपकरणो पर व्यय	 7.20 0.01
2	101–रोजगार सेवायें (01)सामान्य कार्यालय 30–रोजगार मेला 36–वाहन किराया प्रभार	 0.01 0.01
3	02)शारीरिक रूप से निःशक्तजनों के लिये विशेष रोजगार सेवायें	31.46
4	4059–पूंजीगत व्यय 026–सामान्य भवन	0.01
5	02–रोजगार 789–अनुसूचित जाति कम्पोनेन्ट 28–विविध व्यय(परामर्श केन्द्रो की स्थापनाना) 30–रोजगार मेला 36–वाहन किराया प्रभार	 1.29 2.55 0.66
4	02–रोजगार 796–अनुसूचित जनजाति उपयोजना 28–विविध व्यय 30–रोजगार मेला 36–वाहन किराया प्रभार	 0.21 0.45 0.14
5	800 Other Expenditure (02)Rajasthan Unemployment allowance Plan (Akshat Yojana)	490.00
6	28-Othe Expenditure,,02-Programme Implementation Exp. 05-Office exp.	5.00
7	28-Othe Expenditure.02-Programme Implementation Exp. 11-Advertisement	5.00
8	800 Other .[04]School of Animation , 12 Grant in Aid	0.01
	योग	544.01

तालिका–8
आयोजना भिन्न / आयोजना / केन्द्र प्रवर्तित योजना के स्वीकृत बजट
वर्ष 2007–08

लेखा मद	स्वीकृत बजट प्रावधान (लाखों में)		
	आयोजना भिन्न	आयोजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना
2230–श्रम एवं रोजगार 02–रोजगार 001–निदेशन और प्रशासन	146.31	7.21	–
004–अनुसंधान सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी (01)संचालक रोजगार विभाग के माध्यम से	83.45	-	–
101–रोजगार सेवायें (01)सामान्य कार्यालय	369.29	0.02	–
(02)शारीरिक रूप से निःशक्तजनों के लिये विशेष रोजगार सेवायें	8.82	31.46	–
(03)स्व–रोजगार सेवायें	10.33	-	–
(04)महिला रोजगार सेवायें	9.23	-	–
796–जनजाति क्षैत्रीय उपयोजना (01)रोजगार सेवायें	15.33	-	–
800–अन्य व्यय 01–रोजगार समाचार का मुद्रण एवं प्रकाशन	3.00	-	–
4059–पूंजीगत व्यय 026–सामान्य भवन	-	0.01	–
02–रोजगार 789–अनुसूचित जाति कम्पोनेन्ट	-	4.50	–
02–रोजगार 796–अनुसूचित जनजाति उपयोजना	-	0.80	–
800 Other Expenditure (02)Rajasthan Unemployment allowance Plan (Akshat Yojana)		490.00	–
28-Othe Expenditure.,02-Programme Implementation Exp. 05-Office exp.		5.00	–
28-Othe Expenditure,02-Programme Implementation Exp. 11-Advertisement		5.00	–
800 Other ,[04]School of Animation , 12 Grant in Aid		0.01	–
योग	645.76	544.01	–

तालिका–9

विभाग के अधिकारी वर्ग की स्थिति (31–12–2007)

क्र0 स0	श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पद	कार्यरत अधिकारियों की संख्या				
				कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछडा वर्ग	निःशक्त–जन
1.	निदेशक, नियोजन	1	–	1	–	–	–	–
2.	संयुक्त निदेशक	1	–	1	–	–	–	–
3.	उप निदेशक	2	1	1	1	–	–	–
4.	सहायक निदेशक	13	–	13	2	–	–	–
5.	जिला रोज. अधिकारी	44	10	34	5	2	2	1
6.	लेखाधिकारी	1	–	1	–	–	–	–
7.	प्रोग्रामर	1	1	–	–	–	–	–

तालिका–10

विभाग में स्टाफ की स्थिति (31–12–2007)

क.सं.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	रिक्त पद	आस्थगित पद	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या				
					कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	नि:शक्त जन
1.	क.रोज.अधि.	19	3	–	16	2	3	–	–
2.	कार्या. अधीक्षक	1	1	–	–	–	–	–	–
3.	निजी सहायक	1	–	–	1	–	–	–	–
4.	कार्या. सहायक	9	1	1	7	1	1	1	–
5.	रोजगार सहायक	4	–	–	4	1	1	–	–
6.	स्टेनोग्राफर –II	1	–	–	1	–	–	–	–
7.	लेखाकार	1	–	–	1	–	–	–	–
8.	क.लेखाकार	4	–	–	4	–	–	2	–
9.	वरिष्ठ लिपिक	67	7	1	59	10	7	4	–
10.	वरि. कलाकार	1	–	–	1	–	–	–	–
11.	कलाकार	1	–	–	1	–	–	–	–
12.	संगणक	2	1	–	1	–	–	–	–
13.	इन्वेस्टीगेटर	1	1	–	–	–	–	–	–
14.	कनि.लिपिक	162	2	–	160	19	9	27	17
15.	प्रूफ रीडर	1	–	–	1	–	–	–	–
16.	वाहन चालक	1	–	–	1	–	–	–	–
17.	च.श्रे. कर्मचारी	77	2	–	75	17	17	10	1

परिशिष्ट

रोजगार विभाग के कार्यालयों में पद स्थापित अधिकारियों का विवरण (31-12-2007)

क.सं.	कार्यालय का नाम,पताव दूरभाष नं.	पद नाम	पदस्थापित अधिकारी का नाम
1.	रोजगार सेवा निदेशालय, दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर ((0141) 2373675 (का.) ((0141)2373454(का) ((0141) 2704157 (नि.) ((0141)2362661(फेक्स) ((0141) 2368850(सी.बी.एक्स)	निदेशक 1.उप निदेशक (प्रशासन) (रिक्त पद) 2.उप निदेशक (नि.प.) 3.सहा.निदेशक(ई.एम.आई.) 4.सहा.निदेशक (वी.जी.) 5.सहा.निदेशक (प्रशिक्षण) 6.सहा.निदे.(शोध एवं सर्वे.) 7.जिलारोज.अधिकारी (प्रवर्तन) 8. जिला रोजगार अधिकारी 9. लेखाधिकारी	श्री सी.बी.शर्मा, आर.ए.एस. अति.कार्यभार, श्री आर एस.बैरवा, उप निदेशक (नियोजन पद्धति) श्री आर.एस.बैरवा, डॉ श्रीमती फरजाना आजाद श्री श्याम बिहारी शर्मा श्री सर्वेश व्यास श्री प्रवीण माथुर (II) श्री कमलेश थानवी श्री दुलीचन्द जाट श्रीमती दीपा गुप्ता
2.	स्वनियोजन एवं रोजगार विकास, जयपुर ((0141)2362661	संयुक्त निदेशक	श्री ए0के0चौधरी,
3.	राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर ((0141)2368850, 2368398	सहायक निदेशक	श्री वी.डी गुप्ता
4.	व्यावसायिक एवं प्रशासनिक रोजगार कार्यालय, जयपुर ((0141)2368850	सहायक निदेशक (रिक्त पद)	श्री धनपत सिंह राव, जिला रोजगार अधिकारी,(सहायक निदेशक के पद विरूद्ध पदस्थापित)
5.	विशेष रोजगार कार्यालय (नि:शक्तजन) जयपुर, ((0141)2705533	जिला रोजगार अधिकारी	श्री शिवपाल सिंह राठौड
6.	विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र जयपुर,	जिला रोजगार अधिकारी	श्री धर्मपाल मीना
7.	विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, बीकानेर	जिला रोजगार अधिकारी (रिक्त पद)	श्री स्वामी आनन्द प्रेम, सहायक निदेशक, उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय,बीकानेर(अतिरिक्त कार्यभार)
8.	विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र जोधपुर,	जिला रोजगार अधिकारी	श्री आनन्द कुमार सुथार

9	विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र उदयपुर ✆ (0294) 2413955	जिला रोजगार अधिकारी	श्री राहुल दीक्षित
10	व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं स्वरोजगार कार्यालय अजमेर ✆ (0145) 2432903	जिला रोजगार अधिकारी	श्रीमती शशिकान्ता जैन
11	उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय जयपुर ✆ (0141) 2617750	1.सहायक निदेशक (रिक्त पद) 2.जिला रोज.अधिकारी 3.जिला रोज.अधिकारी 4.जिला रोज.अधिकारी 5.प्रोग्रामर (रिक्त पद)	श्री विवेक गोस्वामी जिला रोजगार अधिकारी, (सहायक निदेशक के पद विरूद्ध पदस्थापित) श्री एम.एल.तंवर श्री जे.पी.मिश्रा श्री जगदीश नारायण निर्वाण --
12.	महिला रोज.कार्यालय, जयपुर ✆ (0141) 2700222	सहायक निदेशक	श्री के.ए. मल्होत्रा
13.	उप–क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय अजमेर, ✆ (0145) 2432903	1.सहायक निदेशक 2.सहायक निदेशक 3.जिला रोजगार अधिकारी	श्री राजेन्द्र व्यास श्रीमती मीना शर्मा(जि.रो.अ.,सी.जी.सी. बांसवाड़ा के क्रमोन्नत पद पर 31.1.08 तक) श्री सी.बी.अग्रवाल
14.	जिला रोजगार कार्यालय अलवर✆ (0144)2348070	जिला रोजगार अधिकारी (स्वरोजगार)	डा.श्रीमती तृप्ति जोशी
15.	जिला रोजगार कार्यालय, भरतपुर✆ (05644)223478	जिला रोजगार अधिकारी (स्वरोजगार)	श्री श्यामलाल साटोलिया
16.	जिला रोजगार कार्यालय, भीलवाड़ा✆ (01482)232628	जिला रोजगार अधिकारी	श्री मुकेश गुर्जर
17.	उप–क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय बीकानेर✆ (0151)2226721	1.सहायक निदेशक	श्री स्वामी आनन्द प्रेम
18.	उप–क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय झुन्झुनु, ✆ (01592)232631	जिला रोजगार अधिकारी	श्री एच0सी0वर्मा
19.	उप–क्षेत्रीय रोज.कार्यालय जोधपुर✆ (0291)2544041	1.सहायक निदेशक 2.जिला रोज.अधिकारी	श्री रूपचन्द, श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी
20.	उप–क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय कोटा, ✆ (0744 2323132	1.सहायक निदेशक 2.जिला रोज.अधिकारी	श्री प्रवीण माथुर(I) श्री असीम कुलश्रेष्ठ
21.	उप–क्षे.रोज.कार्या. श्रीगंगानगर ✆ (0154) 2452837	जिला रोजगार अधिकारी (रिक्त पद)	श्री मदन लाल गर्ग जि.रो.अ. हनुमानगढ अतिरिक्त कार्यभार
22.	उप–क्षेत्रीय रोज.कार्या.	1.सहायक निदेशक	श्री प्रेमाराम, अतिरिक्त कार्यभार,

	उदयपुर ☎ (0294)2431927	[illegible] (रिक्त पद)	[illegible] उदयपुर
23	जिला रोज. कार्यालय बांसवाड़ा ☎ (02962)243723	जिला रोजगार अधिकारी (रिक्त पद)	श्री आलोक शुक्ला अतिरिक्त कार्यभार जिला रोजगार अधिकारी चित्तौड़गढ़
24	अनुसूचित जाति जनजाति अध्यापन एवं मार्गदर्शन केन्द्र, बांसवाड़ा	जिला रोजगार अधिकारी (रिक्त पद)	(रिक्त पद) दिनांक 31.1.08 तक [illegible] अजमेर
25	जिला रोजगार कार्यालय, बारां ☎ (07453) 232016	जिला रोजगार अधिकारी (रिक्त पद)	श्री राघवेन्द्र सिंह (अतिरिक्त कार्यभार जिला रोजगार अधिकारी, बूंदी)
26	जिला रोजगार कार्यालय, बाड़मेर ☎ (02982)220614	जिला रोजगार अधिकारी (रिक्त पद)	अतिरिक्त कार्यभार श्री आनन्द कुमार सुथार, जि0रो0अ0, यू0ई0बी0, जोधपुर
27	जिला रोजगार कार्यालय, बून्दी ☎ (0747)2443112	जिला रोजगार अधिकारी	श्री राघवेन्द्र सिंह
28	जिला रोजगार कार्यालय, चित्तौड़गढ़ ☎ (01472)241053	जिला रोजगार अधिकारी	श्री आलोक शुक्ला
29	जिला रोजगार कार्यालय, चूरू ☎ (01562)252021	जिला रोजगार अधिकारी	श्री नौरंग सिंह महला,
30	जिला रोजगार कार्यालय, दौसा ☎ (01427)224044	जिला रोजगार अधिकारी	श्री हरीराम बडगूजर
31	जिला रोजगार कार्यालय, धौलपुर ☎ (05642)220804	जिला रोजगार अधिकारी (रिक्त पद)	अतिरिक्त कार्यभार श्री जी.पी.वर्मा, जि0रो0अ0, सवाईमाधेपुर
32	जिला रोजगार कार्यालय, डूंगरपुर ☎ (02964)232714	जिला रोजगार अधिकारी (रिक्तपद)	श्री धनपत सिंह राव, (अति.कार्यभार स.नि. पी एण्ड ई.जयपुर)
33	जिला रोजगार कार्यालय, हनुमानगढ़ ☎ (01552)261650	जिला रोजगार अधिकारी	श्री मदन लाल गर्ग
34	जिला रोज.कार्या.जैसलमेर ☎ (02992)252512	जिला रोजगार अधिकारी (रिक्त पद)	श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी, जि0रो0अ0,उ.क्षे.रोज.कार्या.,जोधपुर (अति.कार्यभार)
35	जिला रोजगार कार्यालय, जालोर ☎(02973)223761	जिला रोजगार अधिकारी	श्री महेन्द्र सिंह राठौड
36	जिला रोजगार कार्यालय, झालावाड ☎ (07432)232318	जिला रोजगार अधिकारी	श्री मसरूर अहमद
37	जिला रोजगार कार्यालय, करौली ☎(07464)220967पीपी	जिला रोजगार अधिकारी (रिक्त पद)	श्री हरीराम बडगूजर, जिला रोजगार अधिकारी (अति. कार्यभार)
38	जिला रोजगार कार्यालय, नागौर ☎ (01582)240882	जिला रोजगार अधिकारी	श्री भूराराम गोदारा
39	जिला रोजगार कार्यालय, पाली ☎ (02932)220404	जिला रोजगार अधिकारी	श्री पीराराम नागौरा
40	जिला रोजगार कार्यालय, राजसमन्द ☎ (02952)250526	जिला रोजगार अधिकारी (रिक्त पद)	अतिरिक्त कार्यभार श्री राहुल दीक्षित जि0रो0अ0, यू0ई0बी0,उदयपुर
41	जिला रोज.कार्या.स.माधोपुर ☎ (07462)220332	जिला रोजगार अधिकारी	श्री जी.पी.वर्मा

42.	जिला रोजगार कार्यालय, सीकर, ✆ (01572)254408	1.जिला रोजगार अधिकारी	श्री चेन सिंह शेखावत,
43.	जिला रोजगार कार्यालय, सिरोही, ✆ (02972)224142	जिला रोजगार अधिकारी (रिक्त पद)	अति.कार्यभार,श्री पी.आर.नागौरा, जिला रोजगार अधिकारी,पाली
44.	जिला रोजगार कार्यालय, टोंक, ✆ (01432)248037	जिला रोजगार अधिकारी	श्री राजकुमार मीणा
45.	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, ब्यावर (अजमेर)	जिला रोजगार अधिकारी	श्री तखत सिंह राठौड
46.	उप रोजगार कार्यालय, भिवाडी (अलवर) ।	जिला रोजगार अधिकारी	श्री गिरधारी लाल
47.	उप रोज.कार्यालय,प्रतापगढ (चित्तौडगढ़)	जिला रोजगार अधिकारी, (रिक्त पद)	अति.कार्यभार, श्री आलोक शुक्ला, जिला रोजगार अधिकारी,चित्तोडगढ
48.	उप रोज.कार्यालय,कुशलगढ (बांसवाडा)	कनिष्ट रोजगार अधिकारी	अनिल कुमार जैन
49.	उप रोज.कार्यालय, रावतभाटा (चित्तौडगढ़)	कनिष्ट रोजगार अधिकारी	श्री मनोज पाठक
50.	उप रोज.कार्यालय, सागवाडा (डूंगरपुर)	कनिष्ट रोजगार अधिकारी	राम प्रकाश सचदेवा